

तहसालदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से नारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अर्जन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे। आदेशानुसार पर्चा डिकी जारी की जावे पत्रावली निर्णय शूमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हों।

आदेश आज दिनांक 30/12/20 को मेरे द्वारा लिखाया गया खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपिल) यादव

उपखण्ड कलक्टर
अधिकारी एवं
प्रबन्ध सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official